न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 246/2019 अन्तर्गत धारा 251A RT Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उगराराम पुत्र मगाराम 2. आसुराम पुत्र मगाराम 3. वगताराम पुत्र मगाराम 4. नीम्बाराम पुत्र खंगारराम 5. गोरधनराम पुत्र खंगारराम जाति जाट, निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. दीपनाथ पुत्र बीजनाथ जाति जोगी, निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. लूणीदेवी पत्नी खेताराम के कायम मुकाम 2.1 इसराराम पुत्र खेताराम 2.2 गंगाराम पुत्र खेताराम 2.3 किसनाराम पुत्र खेताराम 2.4 लिछमणराम पुत्र खेताराम जाति मेगवाल, निवासी हीरा की ढाणी हाल निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, पी.एन.बी. शाखा उण्डू 4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 19.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 315/22 रकबा 23.00 बीघा अर्थात 3.7231 हैक्टेयर मौजा मूढणों की ढाणी (वर्तमान नवसृजित ग्राम शहीद खेताराम नगर) तहसील शिव में आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 25 व विप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम के खसरा नम्बर 308/19 की भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम या कटाण रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे कटाण मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण रास्ते हेतु घोषित होने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश [illegible] जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कि[illegible] विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव [illegible] की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित [illegible] जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त रास्ते हेतु मौजा [illegible]द खेताराम नगर, तहसील [illegible] विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 25 रकबा 7.6243 हैक्टेयर में से रकबा 0.1538 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु निकटतम एवं सुगम रास्ता है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपनी खातेदारी में से बिना प्रतिफल राशि लिये तहसीलदार मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता कटाण हेतु राजीनामा पेश कर सहमति प्रदान की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा शहीद खेताराम नगर, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 25 रकबा 7.6243 हैक्टेयर में से रकबा 0.1538 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में ली जायेगी। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुतम एवं सुगम है तथा मौके पर खुला हुआ है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली उनकी खातेदारी भूमि बिना प्रतिफल राशि लिये कटाण हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा शहीद खेताराम नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 315/22 रकबा 3.7231 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु मौजा शहीद खेताराम नगर, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 25 रकबा 7.6243 हैक्टेयर में से रकबा 0.1538 हैक्टेयर भूमि का प्रभावित खातेदार् द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:52:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner